

नियमों एवं शर्तों / Rules and Regulations

1. स्टेडियम की सदस्यता सीमित है। यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।
Only limited memberships are available. It will be given on first come first serve basis.
 2. खेल के दौरान किसी चोट/जीवन के नुकसान के लिए शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार उत्तरदायी नहीं होगा और किसी ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति पर विचार नहीं होगा।
Directorate of Education, Govt. of Delhi will not be responsible for any injury / loss of life during playing period and no compensation of claim will be entertained.
 3. शिक्षा निदेशालय या उसके द्वारा नामांकित सभी अनुदेशों को दृढ़ता से लागू किया जाएगा।
All Instructions imposed by Directorate of Education will be strictly adhered to.
 4. प्रतिदिन सदस्यता कार्ड लाना अनिवार्य होगा तथा अधिकृत अधिकारी के मांगने पर दिखाना होगा।
Identity card should be brought everyday and will have to show on demand by Authorised officer.
 5. स्टेडियम परिसर के अंदर किसी भी पालतू जानवर को लाने की अनुमति नहीं है।
Pets are not allowed inside the Stadium Complex.
 6. खिलाड़ी को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि वह स्टेडियम में खेलने के लिए सक्षम एवं स्वस्थ है।
शिक्षा निदेशालय किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
A Player has to satisfy himself/herself about his/her physical fitness for playing in the stadium.
The Directorate of Education will not be responsible for any mishappening.
 7. स्टेडियम प्राधिकारी को अधिकार है कि व्यवस्था के सफल संचालन एवं सुरक्षा के हित में पूर्व सूचना/कारण दिये बिना किसी की व्यक्तिगत सदस्यता को निलंबित/रद्द कर सकता है।
Stadium Authority reserves the right to suspend / cancel the membership of any individual without giving any prior notice / reason in the interest of efficient functioning of the stadium.
 8. सदस्यता अप्रैल से फरवरी तक के लिए मान्य है। इसके बाद इसका नवीनीकरण करवाना होगा अन्यथा कार्ड अपने आप रद्द समझा जाएगा।
Membership is valid from April to February only. Renewal of membership card should be done thereafter, otherwise card would be expired.
 9. शिक्षा विभाग किसी मूल्यवान वस्तु / नगद के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अतः खिलाड़ियों से अनुरोध है कि प्रशिक्षण के दौरान मूल्यवान वस्तुएं न लाएं।
Directorate of Education will not be responsible for any loss of cash or valuable. Players are requested not to bring any valuables with them.
 10. खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाती है कि वह स्टेडियम परिसर व सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। आपस में किसी प्रकार की गुटबाजी व झगड़ा न करें अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।
Players are expected not to damage stadium complex and property. They are advised not to create unsocial environment otherwise their membership will be cancelled.
 11. खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपयुक्त किट के साथ आएंगे।
Players are advised to come in proper kit.
 12. बाहरी व्यक्ति व कोच को प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल विभाग का अधिकृत प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण देगा।
Outside Person or Coach will not be allowed. The coach nominated by the Deptt. will be allowed only.
 13. खेल शाखा द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र पर यदि खिलाड़ी किसी कोच के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो इससे उच्च अधिकारियों को अवगत करायें।
If the player is not satisfied with the behaviour of the Coach at the Coaching Centre run by the sports branch, it should be intimated to the higher authorities.
मैंने उपरोक्त सभी नियमों एवं विनियमों /शर्तों को पढ़ लिया है तथा एतदद्वारा उनका पालन करूंगा।
I have read the above rules & regulations and hereby undertake to abide by them.
- मैं वास्तविक खेल परिसर में अभिभावकों का प्रवेश वर्जित है वे केवल दर्शक दीर्घा में इंतजार करें।
Parents are not allowed to enter actual playing compound, they have to wait in Visitors Area.

संरक्षक के हस्ताक्षर
(Signature of Guardian)

Mob:.....

प्रशिक्षक द्वारा सिफारिश की गई
(Recommendation of Coach)

दिनांक/Date :

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए
(For Office Use only)

Administrator
Chhatrasal Stadium
Model Town, Delhi